न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–73 / 2022(जीसीएमएस नम्बर 2022 / 263)

1. चेता पुत्र ग्यारसा,
2. चिरंजी पुत्र ग्यारसा,
3. हरी उर्फ हरिनारायण, पुत्र ग्यारसा, समस्त जाति मीना, निवासी प्यारीवास, तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. अर्जुन पुत्र रामला,
2. रामरतन पुत्र रामला,
3. श्रीकिशन कपुत्र रामला,
4. हरगोविन्द पुत्र रामला,
5. हरसहाय पुत्र रामला, समस्त जाति मीना निवासी प्यारीवास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा, राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा
8. तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री सतीस कुमार पारीक एडवोकेट अपीलार्थीगण की ओर से**
2. **श्री प्रदीप कुमार विजयवर्गीय एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 26.12.2023

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2022 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहरात हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अपीलान्ट को पक्षकार ही नही बनाया जबकि अपीलान्ट खसरा नम्बर 453, 446 के खातेदार व काबिज काश्तकार है जो प्रकरण में पडौसी खातेदार होने के कारण आवश्यक पक्षकार थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना ही विधि विरूद्ध व मनमाने तरीके से बिना अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये ही दिनांक 03.08.2022 को प्रार्थन पत्र स्वीकार कर मय पुलिस इमदाद सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करने के आदेश पारित कर दिये है, जो आदेश विधि विरूद्ध एवं न्यायिक प्रक्रिया, नियमों व न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट्स के मध्य कब्जे का विवाद है जिस तथ्य को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र में भी अंकित किया है एवं सीमा विवाद का हलवा दिया गया है। उसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा

P.T.O.

अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त तथ्यों की जानकारी होने के उपरान्त भी उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये और अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार संयोजित किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2022 पारित किया है, जो विधि विरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने प्रार्थना पत्र में सीमाज्ञान व पत्थरगढी दोनों करवाने की याचना चाही थी जबकि कानूनन उक्त दोनों कार्यवाही एक साथ नही की जा सकती क्योंकि किसी भी काश्तकार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पहले भूमि का सीमाज्ञान कराया जाता है तत्पश्चात् भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पत्थरगढी हेतु आवेदन किया जा सकता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर भी बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2022 पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध एव न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2022 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लजगायत 5 ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण ने अपनी अपील में सिर्फ उन्हे सुनवाई का अवसर नही दिया गया, इसी बात को बार–बार दौहराया गया है, और उन्होने इसके अलावा अन्य कोई कारण अपनी अपील में नही बताया है, और पक्षकारान के मध्य किस प्रकार का, कौनसा विवाद है, यह भी अपनी अपील में नही बताया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 142, 162, 168, 248, 258, 286, 364, 370, 379, 448, 451, 452/3 कुल किता रकबा 2.85 हैक्टयर वाके ग्राम प्यारीवास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा के राजस्व रिकार्ड में खातेदार काबिज काश्तकार है एवं मौके पर काबिज होकर लाभान्वित होते चले आ रही है, का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवा रहे है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का एतराज करने का कानूनन अधिकार प्रदत्त नही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट्स की उक्त आराजी का सीमाज्ञान उपस्थित मौतविरान के समक्ष दिनांक 01.06.2022 को किया जा चुका है तथा रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण करने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2022 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम में स्वयं ने अंकित किया है कि उनकी आराजीयात में से खसरा नम्बर 286, 448, 451, 452/3 से लगती हुई भूमि कें पडौसी खातेदार से सीमा विवाद है, मौका फर्द सीमाज्ञान दिनांक 01.06.2022 के अनुसार भूमि विवादास्पद का सीमाज्ञान हुआ ही नही है साथ ही पटवारी व तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित अपनी रिपोर्ट पत्रांक 32 दिनांक 20.06.2022 में आराजी खसरा नम्बर 453 के खातेदारों की सुनवाई आवश्यक माना गया जो खसरा नम्बर 453 अपीलान्ट का है उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि विवादगस्त खसरा नम्बर 286, 448, 451, 452/3 के बिना सीमाज्ञान कराये ही पत्थरगढी के आदेश दिये गये है जो न्यायिक दृष्टि से उचित नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2022 खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजवतान जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

26/12/23

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/12/23

अति.संभागीय आयुक्त,
जयपुर।